संख्याः– **/ XXIX-2 / 2025 / E-17630**

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः अगस्त, 2025**

विषयः **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2025-56 Part-I (Untied) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 24 जुलाई, 2025 एवं वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–318362 / E-90619 / 09(150)2020 / XXVII(1)/2025, दिनांक 31 जुलाई, 2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment Part- I (Untied) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित 03 चालू कार्यों/योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित धनराशि **₹ 23.10 करोड़ (₹ तेईस करोड़ दस लाख मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में कॉलम सं० 7 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना की अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	SASCI 2025-26 Part-I के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि	कुल अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	देहरादून शहर के आराघर चौक से मोथरोवाला तक ट्रंक सीवर लाईन बिछाये जाने एवं तत्संबंधी कार्यों की योजना।	2845.95	1292.19	1000.00	1553.76	660.00
2.	नरेन्द्र नगर पालिका क्षेत्र हेतु सीवरेज योजना।	4184.24	1000.00	1000.00	3184.24	660.00
3.	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 637/2023 के अनुपालन में Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) के अन्तर्गत Source and Treatment Augmentation work of Haldwani-Kathgodam Water Supply Scheme	15443.00	1000.00	1500.00	14443.00	990.00
कुल योग		**22473.19**	**3292.19**	**3500.00**	**19181.00**	**2310.00**

(i) उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्यों हेतु Scheme for Special Assistance to the State for Capital Investments (SASCI) 2025-26 Part I (Untide) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की रही है।

(ii) उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आंगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(iii) उक्तानुसार स्वीकृत किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त/पूर्व में अवमुक्त धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो।

(iv) उक्त योजनाओं हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(v) संबंधित कार्य हेतु अनुबन्धित संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम०ओ०यू० में भुगतान निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(vi) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन योजनाओं/कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की कार्य कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण GFR-2017 के फार्म–12B के प्रारूप पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(viii) स्वीकृत की गयी धनराशि उन्हीं योजनाओं पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। योजनाओं की स्वीकृति के मूल शासनादेशों में निहित अन्य समस्त शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 'अनुदान संख्या–07' के लेखाशीर्षक "4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–26–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (SASCI)–00–के मानक मद '53–वहृद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/321883/2025, दिनांक 12 अगस्त, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Digitally signed by Apurva Pandey
Date: 13-08-2025 17:25:02

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–01/2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 13-08-2025
17:30:17

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव